

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ टोंक में भंवर सिंह पटवारी पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा को 20,000/— रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 07 जुलाई, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय जयपुर, के निर्देश पर ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी भंवर सिंह हाल पटवारी पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा को 20,000/— रुपये रिश्वत राशि लेते हुए टोंक में गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक को एक शिकायत एसीबी की हेल्पलाइन नंबर 1064 के माध्यम से इस आशय की प्राप्त हुई कि न्यायालय के निर्णय की पालना में परिवादी के पिताजी के पक्ष में डिकी करने की एवज में 20,000/— रुपये रिश्वत राशि मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा था। दिनांक 25.06.2026 को वक्त मांग सत्यापन आरोपी द्वारा परिवादी से जमीन की डिकी करने की एवज में 20,000/— रुपये रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि लेने की सहमति दी।

जिस पर एसीबी अजमेर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री नारायण टोगस के सुपरवीजन में टी.एल.ओ. ऋषिकेश मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी भंवर सिंह हाल पटवारी पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा द्वारा परिवादी को अपनी कार में बैठाकर रिश्वत राशि अपने कार के डेस्क बॉक्स में रखवायी जहाँ से रिश्वत राशि बरामद हुई। आरोपी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमति एस. परिमाला के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।